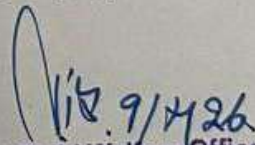


जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी ।

तहसील परिसर, रेवाड़ी में स्थित दुकान (तहसील संबन्धित कार्य) की नियम एवं शर्त:-

1. दुकान एक वर्ष तक किराए पर दी जायेगी ।
2. बीस हजार रुपये सिक्योरिटी अग्रिम तौर पर जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता को अमानत के तौर पर तीन माह का किराया जमा करवाना होगा। उसके बीस हजार रुपये इसमें *adjust* कर लिए जायेंगे तथा असफल बोलीदाता की अमानत राशि तुरंत लौटा दी जायेगी।
3. दुकान का किराया 15000/- रुपये प्रतिमाह होगा और जीएसटी सरकार की हिदायत अनुसार अलग से देना होगा। दुकान एक वर्ष के लिये किराये पर दी जायेगी तथा यदि किरायेदार आगे रखने का इच्छुक होगा तो एक वर्ष उपरांत उसे किराये में 5% बढ़ोतरी के साथ आगामी एक वर्ष के लिये दोनों (किरायेदार एवं परिषद) की सहमति उपरांत किराये पर दी जायेगी। दोनों में से किसी एक की सहमति नहीं हुई तो उस सूरत में दुकान को दोबारा से अलोट करने के लिये प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी।
4. दुकान का किराया तीन माह का एक मुस्त तिमाही के प्रथम माह की 15 तारीख तक जमा करवाना होगा। किराया समय पर जमा करवाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी राशि जब्त करके अलोटमेंट रद्द कर दी जायेगी और दुकान की बोली प्रक्रिया दोबारा से अमल में लाई जायेगी।
5. दुकान की जमा सिक्योरिटी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
6. बिजली एवं साफ सफाई का प्रबंध दुकानदार के अलौटी द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा दुकान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दुकानदार/अलौटी से की जायेगी।
7. दुकान दोनों पक्षों द्वारा एक माह के लिखित नोटिस पर खाली की/करवाई जा सकती है एवं दुकानदार ठेका पूर्ण होने से पूर्व यदि बगैर सूचना दिये दुकान स्वयं खाली करता है तो उस सूरत में उसकी जमा सिक्योरिटी राशि जब्त समझी जायेगी।
8. अलौटी द्वारा स्टाम्प पेपर पर किराये की शर्तों की अनुपालना हेतु शपथ पत्र देना होगा एवं एक इकरारनामा भी जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी से करना अनिवार्य होगा।
9. अन्य शर्त मौके पर बताई जायेगी।
10. दुकान बारे यदि किसी प्रकार का *dispute* होता है तो उस सूरत में उपायुक्त, रेवाड़ी एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद का फैसला अंतिम होगा जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा।


Distt. Child Welfare Officer
Rewari